न्यायालय, समाहत्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..................से..................

जिला–खगड़िया..................,सा0..................,सन्..................

केस का प्रकार:–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्या:– 129 / 2017

आदेश की क्रम स0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
22.12.2017	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत महेशखूँट थाना में दर्ज कांड संख्या–136/2017, दिनांक 09.10.2017 में जप्त किये गए देशी महुआ शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुशंसा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4316/हि0शा0 दिनांक 15.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, महेशखूँट का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल–04 लीटर देशी महुआ शराब की कुल मात्रा में से 02 लीटर शराब माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जाँच हेतु उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को भेज दिया गया है, जबकि शेष–02 लीटर देशी महुआ शराब महेशखूँट थाने के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए महेशखूँट थाने के मालखाना में रखी गई कुल–02 लीटर देशी महुआ विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए खगड़िया थाना कांड संख्या–136/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल–02 लीटर देशी महुआ शराब को विनष्ट करते हुए ततसंबधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, महेशखूँट/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। समाहर्त्ता, खगड़िया।	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0......490....../विधि, दिनांक 22/12/2017 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया/थानाध्यक्ष, महेशखूँट को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। 22/12/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया।	